


किसान पंजीकरण

- सर्व प्रथम किसानो को उपार्जन की वेब साईट <https://uparian.jharkhand.gov.in/> पर पंजीकरण करना होगा।
- ऊपर दिखाए गए लिंक पर क्लिक कर के किसान अपना पंजीकरण कर सकते है जिसके लिए उन्हें निम्न जानकारियाँ देनी पड़ेंगी।



The screenshot shows the 'Farmer Registration' form on the Uparjan website. The form is titled 'Farmer Registration' and is set against a yellow background. It includes the following fields and elements:

- District ***: A dropdown menu with the text '--चपन करें--'.
- Name ***: A text input field.
- Mobile No. ***: A text input field.
- Aadhaar No. ***: A text input field.
- Password ***: A text input field.
- Re Enter Password ***: A text input field.
- मैं इस आवेदन के लिए अपनी सहमति से अपना आधार संख्या आवेदक के रूप में दे रहा हूँ।
- Submit**: A blue button at the bottom right of the form.

The website header is yellow and contains the text 'ई-उपार्जन' and 'खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोगता मामले विभाग'. The navigation bar includes links for 'होम', 'ऑनलाइन सेवा', 'रिपोर्ट', 'भुगतान देखें', 'उपार्जन पंजीकरण', 'किसान पंजीकरण', 'उपार्जन लॉगिन', 'किसान लॉगिन', and 'Install Bazaar App'.

- ऊपर दिखाए फॉर्म को भरने के बाद किसान अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और अपने पासवर्ड से लॉग इन कर अपनी बाकी जानकारी दे सकते है।

The screenshot shows the 'Farmer Registration' form on the e-Uparjan portal. The form is titled 'Farmer Registration' and includes the following fields:

- District * (Dropdown menu with "--चयन करें--")
- Name *
- Mobile No. *
- Aadhaar No. *
- Password *
- Re Enter Password *

Below the fields, there is a checkbox with the text: "मैं इस आवेदन के लिए अपनी सहमति से अपना आधार संख्या आवेदक के रूप में दे रहा हूँ।" and a "Submit" button.

- किसानों को लॉग इन करने के लिए ऊपर दिखाए गए लिंक पर क्लिक करना है और अपने मोबाइल नंबर और पंजीकृत पासवर्ड से लॉग इन कर बाकी जानकारी देनी है।
- लॉग इन करने के बाद डिटेल्स लिंक जो की बाये दर्शाया गया है उस पर क्लिक करना है और मेनू से फिल डिटेल्स लिंक का चयन करना है जैसा की निचे दर्शाया गया है।

The screenshot shows the 'Fill Basic Detail' form on the e-Uparjan portal. The form is titled 'Fill Basic Detail' and includes the following fields:

- Aadhaar No. * (328379735445)
- Mobile No. * (8966750345)
- District * (Ranchi)
- Block * (--चयन करें--)
- Panchayat * (Dropdown menu)
- Village * (Dropdown menu)
- Farmer Name * (Bhanu Pratap Singh)
- Father/ Husband Name * (Dropdown menu)
- Category * (-- Select --)
- Bank * (--चयन करें--)
- Branch * (Dropdown menu)
- IFSC * (Dropdown menu)
- Account No. * (Text input)
- Expected Crop Date * (Text input)
- Patwari Halka No. * (Text input)
- Aadhaar * (Choose File | No file chosen)
- Bank Passbook * (Choose File | No file chosen)

Below the fields, there is a "Submit" button.

- फिल डिटेल्स मेनू का चयन करने पर नीचे दर्शाया फॉर्म खुल जायेगा जहाँ से किसानों को अपनी जानकारी देनी है।

- ऊपर दर्शाए फॉर्म की सभी जानकारियाँ देनी ज़रूरी है उनके बिना किसानो का पंजीकरण नहीं हो पायेगा। इस फॉर्म को भरने के बाद किसानो को अपनी ज़मीन की जानकारी देनी भी ज़रूरी है जिसके लिए उन्हें मेनू से Land Detail लिंक पर क्लिक करना है।
- Land Detail लिंक पर क्लिक करने के बाद निचे दर्शाया फॉर्म खुल जायेगा जहा से किसान अपनी ज़मीन की जानकारी भर सकते है।

(Per acer only 16 quintal is allowed)

CIRCLE	HALKA	VILLAGE	CROP	VOLUM NO IN REG II	PAGE NO IN REG II	PLOT NO	KHASRA NO	RAKBA NO	LAND IN WHICH CROP SOWED
--चयन करें--		--चयन करें--	--चयन करें--						(IRRIGATED) (UNIRRIGATED)

Please Enter Land Owner Name

Please Enter Land Owner Rin Book No

Add

No Land Record available!

Update

- ऊपर दर्शाए फॉर्म से किसान अपनी ज़मीन की जानकारी भर कर Add बटन पर क्लिक करेंगे और अगर उनके पास एक से ज्यादा ज़मीन की जानकारी है जो वो उपार्जन में देना चाहते है तो अपनी सारी ज़मीनों की जानकारी एक एक कर के भरने के बाद अंत में अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे और सारी ज़मीन की जानकारी सुरक्षित कर ली जाएगी।
- विभाग से पूरी जांच होने के बाद आपके आवेदन को स्वीकृत किया जाएगा एवं सही पाये जाने पर आपके मोबाइल में पंजीकरण संख्या भेज दिया जाएगा | उसी पंजीकरण संख्या के आधार पर आप धान विक्रय केंद्र पर जाकर धान जमा कर सकते है |
- धान विक्रय केंद्र पर जमा करने के लिए विक्रय केंद्र से किसानो को SMS भेज कर सूचित किया जायेगा की किस दिन उन्हें धान विक्रय करने के लिए केंद्र पर आना है।
- धान विक्रय करने के बाद किसानो को धान विक्रय की रसीद दे दी जाएगी और उनका भुगतान ७ दिनों के अन्दर उनके बैंक खाते में कर दिया जायेगा।